

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 18-01-2025

विषय सूची

रबर बोर्ड ने iSNR और INR Konnect परियोजनाएँ प्रारंभ की

भारत के लोकपाल ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के विरुद्ध अशांति

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0

WDC-PMKSY 2.0 के अंतर्गत नई वाटरशेड विकास परियोजनाएँ

सेमी-डिराक फर्मिअॉन की खोज

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड

संक्षिप्त समाचार

कोकबोरोक

कूका आंदोलन

अदन की खाड़ी और लाल सागर

भरतपुज्जा नदी

जोंबी डियर डिजीज (CWD)

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

रबर बोर्ड ने iSNR और INR Konnect परियोजनाएँ प्रारंभ कीं

समाचार में

- भारतीय रबर बोर्ड ने भारत के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पहल, iSNR (भारतीय सतत प्राकृतिक रबर) और INR कनेक्ट की शुरुआत की है।

iSNR: भारतीय सतत प्राकृतिक रबर

- उद्देश्य:** भारतीय रबर उत्पादन को यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन (EUDR) मानकों के अनुरूप बनाना तथा ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन लागू करना।
- लाभ:** रबर आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करना।

INR Konnect: वेब-आधारित उत्पादकता प्लेटफॉर्म

- उद्देश्य:** उत्पादकता में सुधार के लिए अप्रयुक्त रबर बागानों के मालिकों को अपनाने वालों से जोड़ना।
- विशेषताएँ:**
 - प्रमाणित नेटवर्क:** रबर बोर्ड विश्वसनीयता के लिए उत्पादकों, अपनाने वालों और टैपर्स को प्रमाणित करता है।
 - प्रशिक्षण:** उत्पादन प्रबंधन और संधारणीय प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
 - डेटाबेस:** प्रमाणित टैपर्स की एक व्यापक सूची बनाए रखता है।
- महत्व:** कम उपयोग वाले बागानों की चुनौती को संबोधित करता है, जो भारत की रबर होल्डिंग्स का 20-25% भाग है, जिसे प्रायः कम रबर की कीमतों और अनुपस्थित स्वामित्व के कारण उपेक्षित किया जाता है।

भारत का रबर उद्योग

- संक्षिप्त विवरण:** थाईलैंड (प्रथम) और इंडोनेशिया (द्वितीय) के बाद भारत वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक रबर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत प्राकृतिक रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
 - भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल का योगदान 90% से अधिक है। अन्य राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और मेघालय शामिल हैं।
- मुख्य चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन से उपज पर प्रभाव, अन्य रबर उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा और श्रम की कमी।
- सरकारी पहल:** राष्ट्रीय रबर नीति 2019 का उद्देश्य रबर उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना और घरेलू रबर उद्योग को सुदृढ़ करना है।
 - प्राकृतिक रबर क्षेत्र योजना का सतत एवं समावेशी विकास, सतत रबर खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने और रबर उत्पादकों की आजीविका में सुधार करने पर केंद्रित है।
- इनरोड परियोजना:** अप्रयुक्त रबर बागानों की क्षमता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

रबर बागान के संबंध में

- वैज्ञानिक नाम:** हेविया ब्रासिलिएन्सि।

- **उत्पत्ति:** अमेज़न नदी बेसिन का मूल निवासी।
- **परिचय:** औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका में लाया गया।
- **रबर निष्कर्षण:** लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है, एक दूधिया तरल पदार्थ जो पेड़ की छाल को टैप करने पर प्रवाहित है।
 - लेटेक्स को प्राकृतिक रबर बनाने के लिए एकत्र और संसाधित किया जाता है।
- **आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ:**
 - 200-300 सेमी की वार्षिक वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
 - गहरी, अच्छी तरह से सूखा, लैटेराइट मृदा में सबसे अच्छा बढ़ता है। अच्छी जल धारण क्षमता और कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है।
- **भारतीय रबर बोर्ड के बारे में**
- **संक्षिप्त विवरण:** भारतीय रबर बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
 - रबर अधिनियम, 1947 के अंतर्गत स्थापित, बोर्ड भारत में रबर उद्योग के विकास, प्रचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **मुख्यालय:** कोट्टायम, केरल।
- **मिशन और उद्देश्य**
 - रबर क्षेत्र का विकास।
 - मूल्य स्थिरीकरण और बाजार तक पहुँच को सुगम बनाना।
 - प्राकृतिक रबर के लिए घरेलू और निर्यात बाजारों को बढ़ावा देना।
 - रबर की खेती, रोग नियंत्रण और उच्च उपज वाली किस्मों पर शोध करना।
 - रबर उत्पादकों, टैपर्स और प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

Source: [TH](#)

भारत के लोकपाल ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया

संदर्भ

- 16 जनवरी, 2025 को भारत के लोकपाल अपना स्थापना दिवस मनाएँगे, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 16 जनवरी, 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- लोकपाल की यात्रा निम्नलिखित से प्रारंभ होती है:
 - **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966):** संघ स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के साथ दो-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा।
 - **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वैधानिक निकाय स्थापित करने के लिए पारित किया गया।

- **स्थापना:** लोकपाल का आधिकारिक रूप से गठन 16 जनवरी, 2014 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में नियुक्त किया गया था।
- भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (2005) का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोकपाल: अधिदेश और कार्यनिष्पादन

- **कानूनी अधिकार:** लोकपाल को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 से अपना अधिकार प्राप्त होता है, जो इसे निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करता है:
 - सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना, जिनमें शामिल हैं:
 - प्रधानमंत्री (राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आदि से संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ)।
 - केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और सभी लोक सेवक।
 - 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।
 - जाँच के दौरान जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए CBI पर पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करना।
- **संरचना:**
 - **अध्यक्ष:** भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या ईमानदारी और विशेषज्ञता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति।
 - **सदस्य:** अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें से कम से कम 50% न्यायिक सदस्य और 50% कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों (SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और महिलाएँ) से हों।
- **नियुक्ति और कार्यकाल:**
 - चयन समिति (अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या प्रतिष्ठित न्यायविद) की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - **कार्यकाल:** 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी प्रथम हो।
- **उपलब्धियाँ:**
 - भ्रष्टाचार के मामलों को सरल बनाने के लिए अभियोजन शाखा की स्थापना।
 - लोक सेवकों और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं की निगरानी में वृद्धि।
 - प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया।

लोकपाल के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **नियुक्तियों और स्टाफिंग में विलंब:** प्रथम लोकपाल, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को अधिनियम पारित होने के छह वर्ष पश्चात् मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था।
 - वर्तमान लोकपाल, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. खानविलकर को मार्च 2024 में नियुक्त किया गया था।
 - लोकपाल को स्टाफिंग एवं जाँच निदेशक और अभियोजन निदेशक जैसे प्रमुख पदों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा है।
- **जाँच और अभियोजन:** विगत पांच वर्षों में लगभग 90% शिकायतें गलत प्रारूप या अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण खारिज कर दी गईं।

- **एजेंसियों के साथ समन्वय:** लोकपाल जाँच करने के लिए विभिन्न जाँच एजेंसियों पर निर्भर करता है।
 - निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करना और नौकरशाही की बाधाओं से बचना महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

आगे की राह

- **बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना:** स्टाफिंग, बजटीय आवंटन और तकनीकी सहायता बढ़ाने से जाँच में तीव्रता आएगी और अधिक गहनता आएगी।
- **बेहतर समन्वय:** CBI जैसी अन्य भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के साथ सहयोग को मजबूत करने से मामले के समाधान में तेजी आ सकती है।
- **जागरूकता अभियान:** लोकपाल की भूमिका, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने से अधिक नागरिक शिकायत करने के लिए आगे आ सकते हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** कानूनी सीमाओं के अंदर चल रही जाँच के बारे में नियमित सार्वजनिक खुलासे से संस्था में विश्वास बढ़ सकता है।

भारत में भ्रष्टाचार निरोध से संबंधित प्रमुख कानून

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित):** सार्वजनिक अधिकारियों और निगमों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को अपराध घोषित करता है।
 - कठोर दंड और समयबद्ध परीक्षण प्रारंभ किए गए।
- **व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014:** व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा करता है और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
 - व्हिसलब्लोअर्स को धमकाने या उनका उत्पीड़न करने पर दंड लगाता है।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुँच प्रदान करता है।
 - सार्वजनिक कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA):** धन शोधन को रोकता है और अपराध की आय को जब्त करता है।
 - धन शोधन विरोधी प्रयासों में वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013:** कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और शासन को नियंत्रित करता है।
 - धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- **बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित):** संपत्ति के स्वामित्व को छिपाने के लिए बेनामी लेनदेन को अपराध घोषित करता है।
 - बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
- **काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015:** अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों को लक्षित करता है।
 - अपराधियों के लिए भारी दंड और अभियोजन का प्रावधान करता है।
- **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:** देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों को संबोधित करता है।
 - ₹100 करोड़ से अधिक के अपराधों के लिए संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है।

Source: TH

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के विरुद्ध अशांति

संदर्भ

- हाल ही में, राष्ट्रपति यून सूक-योल द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया में महत्वपूर्ण राजनीतिक हलचल हुई।

परिचय

- राष्ट्रपति पर 15 दिसंबर को महाभियोग लगाया गया था।
 - 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही राष्ट्रपति के विरुद्ध आलोचना बढ़ रही थी।
 - उनकी कई घरेलू और विदेशी नीतियों के लिए उनकी आलोचना की गई, जिसमें उनकी पत्नी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच में हस्तक्षेप की रिपोर्ट भी सम्मिलित थी।
- राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा को लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा गया।

दक्षिण कोरिया का राजनीतिक इतिहास

- 1910-1945 के मध्य, दक्षिण कोरिया जापानी साम्राज्य के अधीन कूर औपनिवेशिक शासन के अधीन था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप को 38वें समानांतर में विभाजित दो नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा: सोवियत संघ उत्तर को नियंत्रित करता था और अमेरिका दक्षिण को नियंत्रित करता था।
- स्वतंत्रता के पश्चातः**: संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरियाई अनंतिम सरकार के पूर्व प्रमुख, री सिंगमैन को नेता के रूप में नियुक्त किया और उनका समर्थन किया।
 - 1948 में, री ने कोरिया के नव घोषित गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव जीते, लेकिन सत्तावादी नियंत्रण में लगे रहे।
- निरंकुश शासन का अंतः**: आगामी 12 वर्षों तक री ने दक्षिण कोरिया पर निरंकुश नेता के रूप में शासन किया, जब तक कि 1960 में एक छात्र विद्रोह ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर दिया।
- सैन्य तख्तापलटः**: 1961 में, मेजर-जनरल पार्क चुंग ही ने एक सैन्य तख्तापलट का आयोजन और नेतृत्व किया।
 - वे 18 वर्षों तक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे, और युशिन संविधान को पेश किया, जिसने तानाशाही की स्थापना की। 1979 में उनकी हत्या कर दी गई।
 - चुन झू-ह्वान, एक ब्रिगेडियर जनरल, एक सैन्य तख्तापलट द्वारा सत्ता में आए, उन्होंने दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय कैबिनेट को पूरे देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए मजबूर किया।
- गवांगजू विद्रोह 1980:** सैन्य सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, सेना ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कूर हिंसा की।
 - चुन के तहत सत्तावादी शासन 1987 तक दक्षिण कोरिया में जारी रहा।
- जून 1987 के लोकतांत्रिक संघर्ष ने दक्षिण कोरिया के लोकतंत्रीकरण को जन्म दिया।

- 1988 में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में रोह ताए-वू की नियुक्ति के साथ, देश एक उदार लोकतंत्र बनने की राह पर आगे बढ़ने लगा।
- तानाशाही के वर्षों की यादें ही हैं, यही कारण है कि यून की राजनीतिक उत्तरजीविता अनिश्चित हो गई, भले ही उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने के एक दिन बाद ही इसे हटा दिया था।

मार्शल लॉ क्या है?

- यह नागरिक प्रशासन पर प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण के अस्थायी अधिरोपण को संदर्भित करता है।
 - सेना पुलिसिंग, न्यायिक प्रक्रियाओं और यहाँ तक कि शासन जैसे कार्यों को अपने हाथ में ले लेती है।
- **आधार:** युद्ध, विद्रोह या प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियाँ।
 - सरकारों के अभिभूत या अक्षम होने पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- **आलोचक:** यह प्रायः लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि इससे सत्ता का दुरुपयोग, असहमति का दमन और लंबे समय तक सत्तावाद को बढ़ावा मिल सकता है।
- **प्रावधान वाले देश:** दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, पाकिस्तान और थाईलैंड।

क्या भारत में मार्शल लॉ है?

- भारतीय संविधान में "मार्शल लॉ" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 34 में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख है।
 - यह मार्शल लॉ घोषित करने के लिए स्पष्ट आधार या प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है।
- इसे अंतिम उपाय माना जाता है, और भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात् से कभी भी आधिकारिक रूप से मार्शल लॉ घोषित नहीं किया गया है।
- **आपातकालीन प्रावधान:** भारत असाधारण स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल), 356 (राज्य आपातकाल) और 360 (वित्तीय आपातकाल) के अंतर्गत संवैधानिक आपातकालीन प्रावधानों पर निर्भर करता है।
 - इन उपायों की अतीत में अतिशयोक्ति के लिए आलोचना की गई है, जैसे कि 1975-77 के आपातकाल के दौरान।
- **उच्चतम न्यायालय का निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि आपातकाल के दौरान भी, कुछ अधिकार, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, को पूरी तरह से निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह दर्शाता है कि भविष्य में मार्शल लॉ का कोई भी आह्वान अभी भी न्यायिक जाँच के अधीन होगा।

निष्कर्ष

- मार्शल लॉ एक दोधारी तलवार है। हालाँकि यह अराजक स्थितियों में व्यवस्था पुनर्स्थापना कर सकता है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने और लोकतांत्रिक मानदंडों को नष्ट करने का जोखिम उठाता है।
- नागरिकों के लिए, इसके निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास दिखाता है कि यह प्रायः आवश्यकता और अधिनायकवाद के मध्य एक महीन रेखा पर चलता है।

Source: IE

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0

संदर्भ

- दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) 2.0 के लिए विज़न दस्तावेज़ लॉन्च किया।
 - इसका उद्देश्य NBM 1.0 (2019-2024) द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करना है।

भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

- 2023 में, भारत में 83.22 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन होंगे, जिनमें से 79.98 करोड़ वायरलेस और 3.23 करोड़ वायरलाइन होंगे।
- भारत में 2015 से 2021 के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सञ्चारण में 200% और शहरी क्षेत्रों में 158% की वृद्धि देखी गई।
- NBM 1.0 ने डिजिटल बुनियादी ढाँचे में वृद्धि को गति दी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जा सका।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्रकार

- वायर्ड ब्रॉडबैंड(Wired broadband):** ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से वितरित ब्रॉडबैंड।
- वायरलेस ब्रॉडबैंड(Wireless broadband):** रेडियो लिंक के माध्यम से वितरित ब्रॉडबैंड।
- डिजिटल सञ्चाराइबर लाइन (DSL):** तांबे की लाइनों के माध्यम से वितरित ब्रॉडबैंड।

NBM 2.0: विजन और उद्देश्य

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का नया चरण NBM 1.0 पर आधारित है और पूरे भारत में किफायती और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।
- मुख्य उद्देश्य:**
 - ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार:** 2030 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) को वर्तमान में लगभग 50,000 गाँवों से बढ़ाकर 2.70 लाख गाँवों तक पहुँचाना।
 - OFC नेटवर्क के लिए 95% अपटाइम बनाए रखना।
 - एंकर इंस्टीट्यूशन कनेक्टिविटी:** स्कूलों, PHCs, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत कार्यालयों जैसे 90% एंकर संस्थानों को ब्रॉडबैंड प्रदान करना।
 - बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड:** 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड को न्यूनतम 100 Mbps तक बढ़ाना।
 - 5G रोलआउट और 6G तैयारी:** भविष्य की 6G तकनीकों के लिए आधार तैयार करते हुए 5G नेटवर्क के राष्ट्रव्यापी रोलआउट की सुविधा प्रदान करना।
 - विद्युत क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाएँ:** विद्युत क्षेत्र से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) का उपयोग कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए करें, विशेष रूप से आपदाओं, युद्धों और आपात स्थितियों जैसी गंभीर स्थितियों के लिए।

NBM 2.0 प्रभाव

- डिजिटल समावेशन:** डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:** स्कूलों एवं स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ब्रॉडबैंड ई-लर्निंग, टेलीमेडिसिन और अन्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देगा।
- आर्थिक विकास:** बुनियादी ढाँचे के विकास से रोजगार सृजन होगा और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।
- आपदा प्रबंधन:** OPGW बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने से प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान संचार लचीलापन बढ़ेगा।
- तकनीकी उन्नति:** 5G और 6G नेटवर्क को अपनाने से भारत वैश्विक डिजिटल नवाचार में अग्रणी बन जाएगा।

आगे की राह

- सस्ती इंटरनेट सेवाएँ:** सुनिश्चित करना कि ब्रॉडबैंड सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों में अपनाने को बढ़ाने के लिए सस्ती बनी रहे।
- सहयोग को मजबूत करें:** डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास को तेज़ करने के लिए निजी क्षेत्र के खिलाफियों के साथ साझेदारी करना।
- डिजिटल साक्षरता में निवेश करें:** डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए पहल प्रारंभ करना, जिससे नागरिक कनेक्टिविटी का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें।
- नीति समर्थन:** विलंब को कम करने के लिए राइट ऑफ वे (RoW) अनुमोदन जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सहायक नीतियों को लागू करना।

Source: TH

WDC-PMKSY 2.0 के अंतर्गत नई वाटरशेड विकास परियोजनाएँ

संदर्भ

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने 700 करोड़ रुपये के बजट के साथ 10 उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

PMKSY का वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY)

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) 2009-10 में प्रारंभ किया गया था।
- IWMP को बाद में 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के साथ WDC-PMKSY के रूप में विलय कर दिया गया।
- सरकार ने 2021-26 से WDC-PMKSY को 'WDC-PMKSY 2.0' के रूप में जारी रखा, जिसका भौतिक लक्ष्य 49.50 लाख हेक्टेयर और वित्तीय परिव्यय 8,134 करोड़ रुपये है।
 - WDC-PMKSY 2.0 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और सिक्किम में लागू किया जाएगा।

वाटरशेड क्या है?

- वाटरशेड भूमि का वह क्षेत्र है जो वर्षा, बर्फ पिघलने और अपवाह को एक सामान्य जल निकाय में प्रवाहित करता है।
- वाटरशेड विकास का तात्पर्य एक परिभाषित वाटरशेड के अंदर जल संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण से है, ताकि जल की उपलब्धता में सुधार हो, मृदा की उर्वरता बढ़े और भूमि के स्थायी उपयोग को बढ़ावा मिले।



वाटरशेड विकास का महत्व

- बेहतर जल उपलब्धता:** वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ तालाबों, चेक डैम और अन्य संरचनाओं में सतही जल भंडारण की क्षमता बढ़ाने से, परियोजना जल उपलब्धता में सुधार करने में सतह करती है।
 - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और कर्नाटक में विश्व बैंक की वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाएँ शुष्क क्षेत्रों, वर्षा आधारित निचले क्षेत्रों और अधिक ऊँचाई वाले स्थानों में सफल रही हैं।
- संधारणीय कृषि:** वाटरशेड विकास मृदा के कटाव को रोकने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में सहायता करता है, जो स्वस्थ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- आर्थिक उत्थान:** यह वनीकरण, मत्स्य पालन, जल संचयन और कृषि आधारित उद्योगों जैसी गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर सृजित करता है।
- जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति लचीलापन:** जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को तीव्रता से अनिश्चित बना दिया है, जिससे अप्रत्याशित सूखे और बाढ़ आ रही है। वाटरशेड विकास ऐसी जलवायु-प्रेरित चुनौतियों के प्रति लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी का बेहतर एकीकरण:** भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), रिमोट सेंसिंग (RS) और वाटरशेड के मानचित्रण के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग वाटरशेड प्रबंधन की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाता है।

- **हितधारकों के बीच सहयोग:** वाटरशेड विकास परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों एवं किसानों के मध्य प्रभावी समन्वय महत्वपूर्ण है।
 - सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जहाँ निगम, अनुसंधान संस्थान एवं स्थानीय सरकारें सहयोग करती हैं, वाटरशेड विकास पहलों के दायरे और प्रभाव में वृद्धि कर सकती हैं।

Source: PIB

सेमी-डिराक फर्मिअॉन की खोज

संदर्भ

- भौतिकविदों ने सेमी-डिराक फर्मिअॉन नामक एक अद्वितीय कण के अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया है।

परिचय

- सेमी-डिराक फर्मियन एक अर्ध-कण है जो अपनी यात्रा की दिशा के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करता है - एक दिशा में द्रव्यमान रहित लेकिन दूसरी दिशा में गमन करते समय द्रव्यमान रखता है।
 - इसकी खोज ज़िरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में की गई थी।
- यह घटना तब होती है जब कण अपनी गति से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे यह प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए लगभग शुद्ध ऊर्जा बन जाता है।

क्वासिपार्टिकल (Quasiparticle) क्या है?

- क्वासिपार्टिकल एक अवधारणा है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि किसी सिस्टम में कणों का एक समूह किस तरह से परस्पर क्रिया करता है।
- क्वासिपार्टिकल वास्तविक कण नहीं होते, बल्कि कणों के सामूहिक व्यवहार को मॉडल करने का एक तरीका होते हैं जैसे कि वे एक ही कण हों।
- एक प्रकार के क्वासिपार्टिकल को सेमी-डिराक फर्मियन कहा जाता है।

कणों के प्रकार

- **प्राथमिक कण:** ये सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कण हैं। उदाहरण के लिए, क्वार्क, लेट्रन और गेज बोसॉन।
- **संयुक्त कण:** प्राथमिक कणों से बने होते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन (क्वार्क से बने हैं)।

कणों के मूल सिद्धांत

- कणों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है;
 - **फर्मियन:** ये कण पदार्थ बनाते हैं और इनमें अर्ध-पूर्णांक स्पिन होते हैं (जैसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन)।
 - **बोसोन:** ये कण पदार्थ के मध्य मूलभूत बलों की मध्यस्थिता करते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय बल के लिए फोटॉन और मजबूत नाभिकीय बल के लिए ग्लूआॉन। बोसोन में पूर्णांक स्पिन होता है।

Source: TH

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड (TLP) की स्थापना को मंजूरी दी।

लॉन्चपैड के बारे में

- यह रॉकेट या अन्य वाहनों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म या क्षेत्र को संदर्भित करता है। वर्तमान में, भारत दो लॉन्च पैड पर निर्भर है: पहला लॉन्च पैड (FLP) और दूसरा लॉन्च पैड (SLP)।
 - FLP 30 वर्षों से परिचालन में है, जो PSLV और SSLV का समर्थन करता है। SLP, जो 20 वर्षों से परिचालन में है, मुख्य रूप से GSLV और LVM3 का समर्थन करता है, और गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की तैयारी कर रहा है।

तीसरा लॉन्च पैड (TLP)

- TLP को आगामी पीढ़ी के लॉन्च वाहनों (NGLV), सेमी-क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 वाहनों और स्केल-अप NGLV विन्यासों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें उद्योग की महत्वपूर्ण भागीदारी शामिल होगी और पहले के लॉन्च पैड प्रतिष्ठानों से इसरो के अनुभव का उपयोग किया जाएगा।
- वर्तमान लॉन्च कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं को दक्षता को अधिकतम करने के लिए साझा किया जाएगा।
- लक्ष्य:** परियोजना को 48 माह (4 वर्ष) के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है।
- व्यय:** TLP और संबंधित सुविधाओं की स्थापना के लिए कुल निधि की आवश्यकता 3984.86 करोड़ रुपये है।

लाभ

- यह परियोजना उच्च प्रक्षेपण आवृत्तियों को सक्षम करके और मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों का समर्थन करके भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करेगी।
- यह श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड (SLP) के लिए एक स्टैंडबाय लॉन्च पैड के रूप में कार्य करेगा।
- यह भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए लॉन्च क्षमता को बढ़ाएगा।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र:

- SDSC SHAR आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पुलिकट झील और बंगल की खाड़ी के मध्य एक धुरी के आकार के द्वीप पर स्थित है।
- यह भारत का अंतरिक्ष बंदरगाह है, इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्रहकों के लिए उपग्रह तथा प्रक्षेपण यान मिशनों के लिए विश्व स्तरीय प्रक्षेपण अवसंरचना प्रदान करता है।
 - नाम परिवर्तन: मूल रूप से SHAR (श्रीहरिकोटा रेंज) के रूप में जाना जाने वाला यह केंद्र, 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सतीश धवन के सम्मान में नाम बदल दिया गया।

- **परिचालन प्रक्षेपण:** SDSC SHAR 9 अक्टूबर, 1971 को 'रोहिणी-125' नामक एक छोटे साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ चालू हुआ।
- **प्रक्षेपण स्थल के रूप में श्रीहरिकोटा का चयन:** प्रक्षेपण स्थल की खोज 1960 के दशक में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी।
- **श्रीहरिकोटा को चुनने के कारण:** पूर्वी तट का स्थान रॉकेट को पूर्व की ओर प्रक्षेपित करने में सहायक है, जो पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए पृथ्वी के घूमने का लाभ उठाता है।
 - भूमध्य रेखा से निकटता उपग्रहों, विशेष रूप से भूस्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण की दक्षता को बढ़ाती है।
 - **सुरक्षा:** यह क्षेत्र काफी हद तक निर्जन है, समुद्र के निकट है, जिससे रॉकेट को समुद्र के ऊपर से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे रॉकेट के मलबे से होने वाला जोखिम कम हो जाता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तारित दृष्टिकोण में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) और 2040 तक भारतीय चालक दल के साथ चंद्र लैंडिंग सम्मिलित है।
 - उन्नत प्रणोदन प्रणालियों के साथ नए, भारी प्रक्षेपण वाहनों की आवश्यकता है, जिन्हें वर्तमान लॉन्च पैड द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है।
- आगामी 25-30 वर्षों के लिए भविष्य की अंतरिक्ष परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना आवश्यक है।

क्या आप जानते हैं?

- सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में 'प्रायोगिक द्रव गतिकी के जनक (Father of Experimental Fluid Dynamics)' के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने 1972 में विक्रम साराभाई के बाद इसरो के अध्यक्ष का पद संभाला।
- उनके नेतृत्व में, इसरो ने INSAT (दूरसंचार), IRS (रिमोट सेंसिंग) और PSLV जैसी परिचालन प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, जिससे भारत को अंतरिक्ष में आगे बढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया।

Source:IE

संक्षिप्त समाचार

कोकबोरोक

संदर्भ

- कोकबोरोक दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य के स्वदेशी त्रिपुरी लोगों द्वारा मनाया जाता है।

परिचय

- महत्त्व:** यह कोकबोरोक भाषा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और भाषाई योगदान का स्मरण कराता है, जो त्रिपुरी लोगों की मातृभाषा है।
- इसे पहली बार 1979 में **त्रिपुरा की आधिकारिक राज्य भाषा** के रूप में मान्यता दी गई थी।
 - त्रिपुरा की अन्य आधिकारिक भाषाएँ बंगाली एवं अंग्रेजी हैं।
- त्रिपुरा ने स्कूलों में कोकबोरोक को बढ़ावा देने के लिए भाषा मानचित्रण अभियान की शुरुआत की है।

Source: TH

कूका आंदोलन

संदर्भ में

- कूका आंदोलन**, जिसे नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी में एक सिख धार्मिक और सामाजिक-राजनीतिक सुधार आंदोलन के रूप में उभरा।

परिचय

- उत्पत्ति:** नामधारी संप्रदाय की स्थापना सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल, 1857 को ऐणी साहिब में की थी। वे नामधारी संप्रदाय के धर्मनिरपेक्ष प्रमुख थे।
 - गुरबानी का उच्च स्वर में पाठ करने के कारण अनुयायियों को "कूका" कहा जाता था, जिन्हें पंजाबी में "कूक" कहा जाता है।
- नेतृत्व:** सतगुरु राम सिंह के नेतृत्व में, कूका हीरा सिंह और लेहना सिंह द्वारा समर्थित।
- मुख्य उद्देश्य:** आध्यात्मिक सुधार और सामाजिक न्याय का समर्थन करना।
 - ब्रिटिश शासन का विरोध किया और ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।
 - अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हुए गोहत्या का विरोध किया।

कूका आंदोलन का उग्र रूप

- अधिकारियों के साथ टकराव:** 15 जनवरी, 1872 को कूकाओं ने लुधियाना जिले के मलौध किले पर आक्रमण किया, जहाँ ब्रिटिश अधिकारियों का सामना हुआ। बाद में, अंग्रेजों ने कूकाओं की हत्या कर दी।

- नेताओं का निर्वासन:** सतगुरु राम सिंह और अन्य कूका नेताओं को रंगून (वर्तमान म्यांमार) में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ वे अपनी मृत्यु तक रहे।

आंदोलन के पश्चात् का योगदान

- प्रकाशन:** कूका नेताओं ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए 1920 में 'सतयुग' और 1922 में दैनिक 'कूका' की शुरुआत की।
- असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन:** कूका नेताओं ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर व्यापक स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया।

महत्व

- प्रारंभिक प्रतिरोध:** कूका आंदोलन पंजाब में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोहों में से एक था।
- सामाजिक और स्वतंत्रता लक्ष्यों का संयोजन:** आत्मनिर्भरता, सविनय अवज्ञा और सामाजिक सुधार को प्रेरित किया।

Source: TH

अदन की खाड़ी और लाल सागर

संदर्भ

- अदन की खाड़ी, लाल सागर एवं पूर्वी अफ्रीकी जलक्षेत्र में बढ़ते खतरों के कारण भारतीय नौसेना को अपनी उपस्थिति बढ़ाने और सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है।

अदन की खाड़ी

- यह अरब प्रायद्वीप यमन और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका (Horn of Africa) में सोमालिया के समुद्र तट पर एक गहरी जल की खाड़ी में स्थित है।
- यह बाब अल-मन्डेब जलडमरुमध्य के माध्यम से अरब सागर को लाल सागर से जोड़ता है।

लाल सागर

- यह अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करने वाला एक संकीर्ण, लम्बा समुद्र है।
- यह उत्तर में स्वेज नहर से लेकर दक्षिण में बाब अल-मन्डेब जलडमरुमध्य तक फैला हुआ है।
- सीमावर्ती देश: जिबूती, मिस्र, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान और यमन।

सामरिक महत्व

- वैश्विक व्यापार मार्ग:** साथ मिलकर, वे स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बनाते हैं।
- ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला:** तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) शिपमेंट के लिए प्रमुख मार्ग, वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 10% बाब अल-मन्डेब से होकर गुजरता है।
- चोकपॉइंट सुभेद्रता (Chokepoint Vulnerability):** बाब अल-मन्डेब एक रणनीतिक चोकपॉइंट है, और कोई भी व्यवधान वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।



Source: TH

भरतपुङ्गा नदी

संदर्भ

- एक दुखद घटना में, एक परिवार के सदस्य चेरूथुरुथी में भरतपुङ्गा नदी में डूब गए।

परिचय

- भरतपुङ्गा नदी, जिसे नीला नदी या पोन्नानी नदी के नाम से भी जाना जाता है, पेरियार के पश्चात् केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- लंबाई:** 209 किमी (लगभग)।
- उद्भव:** अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु।
- सहायक नदियाँ:** गायत्रीपुङ्गा, कन्नडिपुङ्गा, कल्पतिपुङ्गा, थुथापुङ्गा।
- जल निकासी क्षेत्र:** केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
- महत्व:** इसके तट पर कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें थिरुविलवामाला मंदिर भी सम्मिलित है।
 - यह केरल कलामंडलम के लिए जाना जाता है, जो इसके तट पर स्थित पारंपरिक कलाओं का केंद्र है।

Source: DH

ज़ोंबी डियर डिजीज (CWD)

समाचार में

- एक हालिया अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्यों को घातक क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज (CWD) से संक्रमित होने का कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है, जिसे प्रायः ज़ोंबी डियर डिजीज के रूप में जाना जाता है।

ज़ोंबी डियर डिजीज (CWD)

- इसे क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज (CWD) के नाम से भी जाना जाता है।

- यह एक घातक, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो हिरण, एल्क, मूस, हिरन और मुंटजैक को प्रभावित करती है।
- यह **सर्विडे परिवार** के कुछ अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकता है।
- **मानव संक्रमण जोखिम:** CWD प्रिऑन, संक्रामक प्रोटीन के कारण होता है, और इस बीमारी के मनुष्यों में फैलने की संभावना के बारे में चिंताएँ हैं, विशेषकर संक्रमित मांस के सेवन के माध्यम से।
 - हालाँकि, किसी भी मानव मामले की पुष्टि नहीं हुई है।
- **संचरण:** CWD प्रिऑन शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार, रक्त, मूत्र और मल के माध्यम से फैलता है, या तो सीधे संपर्क या पर्यावरण संदूषण से।
 - एक बार उपस्थित होने के पश्चात्, प्रिऑन मृदा, जल और पौधों में वर्षों तक संक्रामक बने रहते हैं।
- **प्रभाव:** संक्रमित जानवर महीनों या सालों तक स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं, जिसके दौरान वे बीमारी फैला सकते हैं। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, जानवर कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
 - प्रगति की गति प्रजातियों और जानवरों की आनुवंशिकी के अनुसार अलग-अलग होती है।

Source: ET

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

समाचार में

- भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत में खेल और साहसिक कार्य में असाधारण योगदान के लिए **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024** प्रदान किए।

पुरस्कार श्रेणियाँ

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:**
 - **भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, 1991-92** में स्थापित।
 - चार वर्षों की अवधि में उल्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है।
 - **नाम:** मेजर ध्यानचंद (1905-79), एक प्रतिष्ठित हॉकी दिग्गज जिन्होंने भारत को लगातार तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक (1928, 1932 और 1936) दिलाए।
 - **2024 पुरस्कार विजेता:**
 - गुकेश डी (शतरंज)
 - हरमनप्रीत सिंह (हॉकी)
 - प्रवीण कुमार (पैरा-एथलेटिक्स)
 - मनु भाकर (शूटिंग)
- **अर्जुन पुरस्कार:**
 - पिछले चार वर्षों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए **1961** में स्थापित।
 - **नाम:** भारतीय महाकाव्य महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर।
 - **प्रथम प्राप्तकर्ता:** पी.के. बनर्जी (फुटबॉल)।
- **द्रोणाचार्य पुरस्कार:**

- 1985 में स्थापित, यह कोचों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है।
- प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए सम्मानित किया जाता है।
- नाम: महाभारत में अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर।
- प्रथम महिला प्राप्तकर्ता: रेणु कोहली (एथलेटिक्स)।
- आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार:
- खेलों में आजीवन योगदान के लिए 2002 में स्थापित।
- प्रथम प्राप्तकर्ता:
 - शाहूराज बिराजदार (मुकेबाजी)
 - अशोक दीवान (हॉकी)।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी:
- सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 1956-57 में स्थापित किया गया।
- भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी श्री अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में इसका नाम रखा गया।
 - पहला प्राप्तकर्ता: बॉम्बे विश्वविद्यालय।
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:
- वर्ष 2009 में स्थापित यह पुरस्कार विगत तीन वर्षों में खेलों के प्रोत्साहन एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों, कंपनियों और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार:
- साहसिक खेलों में उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 2004 में प्रारंभ किया गया।
- भूमि, जल, वायु एवं आजीवन साहसिक श्रेणियों में योगदान को मान्यता देता है।

Source: PIB

